

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना/स्कीम का स्थान	ग्राम-असरफपुर गंगरेला, तहसील-रुदौली जिला- अयोध्या।
(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(2) जिला	अयोध्या
(3) वन प्रभाग	समाजिक वानिकी वन प्रभाग अयोध्या
(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	0.151236
(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन पर स्वामित्व एन०एच०आई० का है।
(6) हरियाली का घनत्व	0.50
(7) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिवाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एक आर०एल०एफ०आर०एल०-2 मी० पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मी० भी संलग्न किए जाए।	24 वृक्षों की सूची संलग्न है।
(8) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी :	रामतल एव उपजाऊ होने के कारण वनस्पति उपज झाड़ियों के फलस्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है।
(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	राष्ट्रीय राज्य मार्ग के किनारे की भूमि संरक्षित वन भूमि है। प्रस्तावित भूमि संरक्षित वन भूमि से लगी है।
(10) क्या कार्य राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भूग है। (यदि हाँ क्षेत्र का ब्योरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबधित की जाए)	नहीं।
(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती है, यदि हाँ/नहीं तो तत्संबंधी ब्योरा दें।	नहीं।
(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं।
8 प्रयोज्य एजेंसी द्वारा भाग-1 कौलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जोंचे गए विकल्पों के ब्योरा के साथ मदवार सरतुति क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9 क्या अधिनियम के उत्पन्न में कोई कार्य किया गया है : हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें क्या उत्पन्न संबंधी कार्य अभी चल रहे है।।	नहीं।
10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा -	संलग्न है।
(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित	

वनेत्तर क्षेत्र/अविकसित वन क्षेत्र आसपास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकार।	
(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अविकसित वन क्षेत्र और आसपास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूचित लागत ढाँचा आदि।	संलग्न है।
(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परित्यय।	रुपया- 69988.00
(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से संक्षेप प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है।
11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12 विभाग/जिला प्रोफाइल।	
(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2646.20 वर्ग कि०मी०
(2) जिले का वन क्षेत्र	3646.202 हे०
(3) भामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कोई वन क्षेत्र	27 मामले
(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण	171.341538 हे०
(क) वण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	रिक्त
(ख) वनेत्तर भूमि	रिक्त
(5) अबतक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क) वन भूमि पर	66.82 हे०
(ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
13 प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग हेतु न्यू रिटेल आउटलेट खोलने हेतु प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

दिनांक 23.07.19

स्थान-अयोध्या

(मनोज कुमार खरं)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अयोध्या